

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़
केम्प देवगढ़

सं 48/2015 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 20.06.2018

अनवान

श्री लादू कुमार छापरवाल पिता रामलाल छापरवाल नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....वादी

बनाम

1. श्री राजुदेवी पत्नि नानालाल लखारा नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
2. श्रीमति सीतादेवी पत्नि रतनलाल लखारा नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
3. श्रीमति मुन्नी बेवा प्रेमसिंह राजपुत नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
4. श्री राजू देवी पुत्री प्रेमसिंह राजपुत नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
5. श्रीमति संगीता पुत्री प्रेमसिंह राजपुत नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार त.देवगढ़ जि. राजसमंद

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवगढ़ में पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव उचित प्रतित होता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी प्रेमसिंह की मृत्यु के बाद वारिसान मुन्नीदेवी, राजुदेवी व संगीता देवी की सहमति से प्रेमसिंह का 20/80 हिस्सा, प्रेमसिंह के नाम से हटाया जाकर नगरपालिका देवगढ़ के नाम रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते भी पृथक पृथक कायम करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम देवगढ़ प.ह. ~~इ.राजसमंद~~ ^{देवगढ़} त.देवगढ़ में स्थित आराजी नं. 3853 रकबा 0.04 बीघा भूमि में

1. श्री राजुदेव पत्नि नानालाल लखारा सा. देह के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
3853/5	0.01.03	कु3	0.16
योग 1	0.01.03		0.16

2. श्री सीतादेवी पत्नि रतनलाल लखारा सा. कामलीघाट के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
3853/6	0.01.01	कु3	0.15
योग 1	0.01.01		0.15

3. श्री लादुकुमार छापरवाल पिता रामलाल दर्जी सा. देह के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
3853/7	0.00.16	कु3	0.14
योग 1	0.00.16		0.14

4. रास्ता नगरपालिका देवगढ़ के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
3853	0.01	कु3	0.15
योग 1	0.01		0.15

प्रतिवादी प्रेमसिंह की मृत्यु के बाद वारिसान मुन्नीदेवी, राजुदेवी व संगीता देवी की सहमति से प्रेमसिंह का 20/80 हिस्सा, प्रेमसिंह के नाम से हटाया जाकर नगरपालिका देवगढ़ के नाम रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है।

वादी वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प कर तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प देवगढ़ में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द